न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

पीठासीन अधिकारी – मुकुट सिंह (RAS)

राजस्व वाद संख्या :– 52/2024

विष्णु कुमार पुत्र श्री श्रीकिशन जाति पुरोहित नि0 प्लॉट नं0 04, नवजीवन कॉलोनी, खातीपुरा जयपुर जि0 जयपुर।

वादी

बनाम

1. श्यामलाल पुत्र रामप्रताप जाति पुरोहित नि0 जोबनेर जि0 जयपुर।
2. तहसीलदार तहसील जोबनेर, जि0 जयपुर ।

प्रतिवादीगण

वाद बाबत विभाजन एवं स्थायी निषेधाज्ञा

उपस्थित :– 1. श्री सुरेश कुमार शर्मा अधिवक्ता वादी

–:निर्णय:– दिनांक:–24/01/2025

वादीगण द्वारा वाद बाबत विभाजन व स्थायी निषेधाज्ञा अन्तर्गत धारा 53, व 188 आर0टी0ऐ0 इस आशय का पेश किया गया कि वादी व प्रतिवादी सं01 की संयुक्त कब्जे काश्त व खातेदारी की आराजी खाता सं0 नया 77 के खसरा नं0 1937 रकबा 1.2266 है0 बंजड–1 जो वाकै ग्राम अगरपुरा, पटवार हल्का डेहरा, भू–अभिलेख निरीक्षक क्षैत्र कालख, तहसील जोबनेर जिला जयपुर राज0 मे स्थित है। वाद पत्र मे वर्णित आराजी राजस्व अभिलेखो मे अविभाजित है। जिसमे वादी का हिस्सा 23/24 हिस्सा है जो राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज है। वादी अपने दर्ज हिस्से की भूमि पर बुजुर्गो के समय से काबिज काश्त है व वादी ने अपनी आराजी को मौके कब्जे के अनुसार विकसित कर लिया है इस आराजी मे प्रतिवादी सं0 1 श्यामलाल का 1/24 हिस्सा, जो वर्तमान जमाबंदी मे अंकित किया हुआ है। विवादग्रस्त आराजी वादी व प्रतिवादी सं0 1 की संयुक्त स्वामित्व की अविभाजित आराजी है जिसका विधिक रूप से मौके पर विभाजन नही हो रखा है। जिसके कारण वादी व प्रतिवादी सं0 1 अपने अपने हक व हिस्से की खातेदारी मे दर्ज हिस्से अनुसार काश्त कर रहे है।

वादी अपने हिस्से की आराजी पर मौके पर कब्जेनुसार काबिज होकर उसका शांतिपूर्वक उपयोग व उपभोग करता आ रहा है किन्तु प्रतिवादी के परिवारवालो की नियत मे फितूर उत्पन्न हो गया है तथा प्रतिवादीगण वादी कि आराजी पर बिना विधिक विभाजन करवाये ही मनचाही जगह की भूमि को अपनी

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

बताकर विक्रय कर आराजी से वादी को बेदखल करने पर उतारू है। इसी उद्देश्य से प्रतिवादी सं01 के परिवारवालो ने दिनांक 1.5.2024 को कुछ अजनबी व्यक्तियो को आराजी पर लाकर भूमि को दिखाकर मनचाही जगह से भूमि का बेचान करने की बातचीत की तो वादी के द्वारा प्रतिवादी के परिवारवालो को बिना विधिक विभाजन करवाये बेचान करने से मना किया तो प्रतिवादी के परिवारवालो ने वादी के विभाजन के प्रस्ताव को स्पष्ट रूप से इंकार कर दिया इस कारण वादी को अपने हक व अधिकारो की सुरक्षा हेतु यह वाद बावत विभाजन आराजी व स्थायी निषेधाज्ञा विरूद्व प्रतिवादीगण पेश करना आवश्यक हुआ है जिससे कि उक्त भूमि का मौके पर कब्जे व काश्त नुसार विधिवत रूप से आराजी का विभाजन करवाया जा सकें।

प्रतिवादी द्वारा मनचाही जगह से अपना हिस्सा बिना मौके कब्जे काश्त के अनुसार तकास्मा/विभाजन करवाये वादग्रस्त भूमि का विक्रय कर मनचाहे स्थान पर कब्जा अजनबी केताओ का करवा दिया तो वादी को भूमाफिया किस्म के लोग उक्त आराजीयात से बेदखल कर देंगे और वहां पर अजनबी व्यक्तियों का दाखिला हो जायेगा जिससे वादी को असहनीय हानि होगी तथा वादी पुराने समय से चले आ रहे अपने मौके कब्जे काश्त की भूमि से वंचित हो जायेगा जिससे वादी को काफी असुविधा होगी जिसकी क्षतिपूर्ति किसी भी प्रकार से किया जाना संभव नही होगा। ऐसी स्थिति मे सभी प्रतिवादी को जरिये स्थायी निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना न्यायहित मे नितान्त आवश्यक है।

प्रकरण दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलबी जरिये रजिस्टर्ड एडी0 की गयी। प्रतिवादीगण के विरूद्ध बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने के कारण एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लायी गयी। वादी का वाद मुताबिक वाद पत्र के अनुसार राजस्व रिकार्ड में दर्ज हिस्से अनुसार एवं भूमि में आने–जाने के रास्तों का प्रावधान रखते हुए कब्जे को प्राथमिकता देते हुए दिनांक 27.11.2024 को प्राथमिक डिक्री किया गया।

प्राथमिक डिक्री दिनांक 27.11.2024 की पालना में तहसीलदार जोबनेर के पत्रांक एलआर/24/143 दिनांक 20.01.2025 द्वारा नक्शे कुरेजात प्रस्तुत किये गये।

बहस अधिवक्ता वादी सुनी गयी। अधिवक्ता वादी द्वारा वादी का वाद कुरेजात रिपोर्ट दिनांक 20.01.2025 के अनुसार अंतिम डिक्री किये जाने हेतु निवेदन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। तहसीलदार, जोबनेर द्वारा प्राप्त कुरेजात का अवलोकन किया गया। वादी का वाद दिनांक 20.01.2025

उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, जोबनेर, जयपुर

को पेश कुरेजात रिपोर्ट के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। अतः वादी का वाद मुताबिक कुरेजात दिनांक 20.01.2025 के अनुसार अंतिम डिक्री किया जाता है।

वाकै ग्राम अगरपुरा

क्र.सं.	नाम खातेदार	खसरा नम्बर	रकबा	किस्म	लगान
1.	विष्णु कुमार पुत्र श्री किशन हि0 पूर्ण जाति पुरोहित सा0 प्लाट नं0 4 नवजीवन कॉलोनी खातीपुरा जयपुर	1937/Λ	1.1755	बंजड 1	
	योग	किता 1	1.1755		
2.	श्यामलाल पुत्र रामप्रताप हि0 पूर्ण जाति पुरोहित सा0 जोबनेर	1937/B	0.0511	बंजड 1	
	योग	किता 1	0.0511	बारानी 1	4.20

तहसीलदार जोबनेर को आदेश दिये जाते हैं कि मुताबिक डिक्री कुरेजात दिनांक 20.01.2025 राजस्व रिकार्ड में अमल–दरामद करें, लगान दर अनुसार लगान कायम करें। बैंक रहन संबंधित खातेदार के द्वारा बैंक के पक्ष में रहन रखे गये हिस्से को उसके खसरा नम्बर/रकबा के विरूद्ध दर्ज किया जावे। बैंक का रहन खातेदारों के नाम यथावत रहेगा। पर्चा डिक्री तहरीर जारी की जावे। खर्चा पक्षकारान अपना–अपना वहन करेगें। तहसीलदार जोबनेर द्वारा प्रस्तुत कुरेजात दिनांक 20.01.2025 निर्णय का भाग रहेंगे।

निर्णय आज दिनांक 24.01.2025 को टंकित कराया जाकर मजमेआम में सुनाया गया।

24/1/2025

मुकुट सिंह (R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
जोबनेर, जयपुर

उपखण्ड अधिकारी जयपुर